

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 985/2022 (धारा 14 सिक्थोरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, एसएमईसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. एसपी-1, रोड़ नं. 01, चौकेआई एरिया, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. मैसर्स संतोष एन्टरप्राइजेज प्रोपराईटर श्रीमती सीमा कंवर पत्नी श्री नागेन्द्र सिंह,
पता:- प्लॉट नं. एफ/8, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।
एवं दुकान नं. जी-2, प्लॉट नं. 8-9, नन्द विहार ए, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 65, नेमीनगर विस्तार, आम्रपाली रोड़, वैशाली नगर, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 36, श्रीराम कॉलोनी, रामनगर, सोडाला, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 06.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.06.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में मैसर्स सन्तोष एन्टरप्राइजेज प्रोपराईटर श्रीमती सीमा कंवर के स्वामित्व की चल संपत्ति 1. यूनिट्स स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स, स्टॉक इन प्रोसेस, फिनिशड गुड्स, गुड्स इन ट्रांजिट एवं 2. यूनिट ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर बुक डेब्ट्स, सेल्स, रिसेवेबल्स, एज आल्सो चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स, क्लीन ऑर डॉक्यूमेन्ट्री वेदर असेप्टेड ऑर अदरवाइज, जो कि मैसर्स संतोष एन्टरप्राइजेज के कार्यालय, साईट्स, गोदाम आदि पर स्थित है को दिनांक 12.06.2020 को जरिये एग्रीमेन्ट हाइपोथिकेट कर कुल राशि 10,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.08.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक एवं हाईपोथिकेटेड उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 10,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 12,61,061/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 31.08.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक/हाइपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में हाइपोथिकेट की गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स सन्तोष एन्टरप्राइजेज प्रोपराईटर श्रीमती सीमा कंवर के स्वामित्व की हाइपोथिकेटड चल संपत्ति 1. यूनिट्स स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स, स्टॉक इन प्रोसेस, फिनिशड गुड्स, गुड्स इन ट्रांजिट एवं 2. यूनिट ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर बुक डेब्ट्स, सेल्स, रिसेवेबल्स, एज आल्सो चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्ल्स, क्लीन ऑर डेक्ल्यूमेंट्री वेदर असेप्टेड ऑर अवरवाइज, जो कि मैसर्स सन्तोष एन्टरप्राइजेज के कार्यालय, साईट्स, गोदाम आदि पर स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट निजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर



दफ्तर हो।

दिनांक 06.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर